न्यायालयः— सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

पीठासीन अधिकारी :— श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 02/2022

प्रकरण दर्ज तिथि :— 01.02.2022

जीसीएमएस **नम्बर :— 2022/86**

अपीलान्ट :—

1. पेमाराम उर्फ पेमसिह पुत्र घीसासिंह वयस्क
2. हेमा उर्फ हेमसिंह पुत्र घीसासिंह
3. नेना उर्फ नेनसिंह पुत्र घीसासिंह
4. देवी उर्फ देवीसिंह पुत्र घीसासिंह
5. छोटू उर्फ छोटासिंह पुत्र वरदासिंह
6. गोपी पुत्र लाडु
7. मगना उर्फ मुकनसिंह पुत्र लाडु
8. सोहन पुत्र लाडु
9. किशना उर्फ किशनसिंह पुत्र सुवा उर्फ सुवासिंह
10. रतना उर्फ रतनसिंह पुत्र सुवा उर्फ सुवासिंह
11. जीवण पुत्र छगना
12. बाबुसिंह पुत्र भीरमसिंह उर्फ बीरमसिंह फौत होने से उनके विधिक कायम मुकाम
    12/1. पटवारी सिंह पुत्र बाबुसिंह
    12/2. हीरासिंह पुत्र बाबुसिंह
    12/3. नैनी पत्नी बाबुसिंह
13. मेवसिंह उर्फ मेवासिंह पुत्री भीरमसिंह उर्फ बीरमसिंह
14. हीरासिंह पुत्र भीरमसिंह उर्फ बीरमसिंह
15. जवारा उर्फ जवाहरसिंह पुत्र मला उर्फ मलासिंह
16. हेमा पुत्र मला उर्फ मलासिंह
17. मन्नासिंह पुत्र भंवरसिहं
18. मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह
19. कमला पुत्री भंवरसिंह

जातियान रावत निवासीगण नाहरपुरा(प्रतापगढ) तहसील रायपुर जिला पाली राज.

रेस्पोडेन्ट :—

1. कमला पत्नी तोलसिंह
2. शान्ति पत्नी मिठुसिंह
3. हरजीसिंह पुत्र भीमसिंह
4. देवासिंह पुत्र भीमसिंह
5. चतरसिंह पुत्र मांगूसिंह
6. कुकासिंह पुत्र बादरसिंह
7. गुमानसिंह पुत्र बादरसिंह
8. पप्पूसिंह पुत्र बादरसिंह
9. लीला कंवर पुत्री बादरसिंह
10. गोपालसिंह पुत्र रामसिंह
11. मदनसिंह पुत्र रामसिंह
12. गीता पुत्री रामसिंह

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

13. सोनिया पुत्री रामसिंह
14. भंवरसिंह पुत्र वरदासिंह
15. मोडसिंह पुत्र घीसासिंह फौत होने से उनके विधिक कायम मुकाम
    15/1. कचरूसिंह पुत्र मोडसिंह
    15/2. सीता पुत्री मोडसिंह
    15/3. रमती पुत्री मोडसिंह
    15/4. बिदामी पत्नी मोडसिंह

जातियान रावत निवासीगण नाहरपुरा (प्रतापगढ) तहसील रायपुर, जिला

16. तहसीलदार रायपुर, तहसील रायपुर जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट विरूद्व नामान्तकरण संख्या 544 दिनांक 20.03.2014

उपस्थितः– 1 श्री चन्द्र दीप सिंह भाटी अधिवक्ता अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक :–10.08.2022

अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता श्री चन्द्रदीप सिंह भाटी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट विरूद्व नामान्तकरण संख्या 544 दिनांक 20.03.2014 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्ट न्यायालय में पेश किया गया है। अपील का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा ग्राम नाहरपुरा पटवार हल्का प्रतापगढ, भू. अभि.नि.क्षैत्र बाबरा, तहसील रायपुर जिला पाली राज. में खसरा नं. 2949,2950,2952,2953,2954 कुल रकबा 3.0110 हैक्टेयर की कृषि भूमि आई हुई है। जिसकी जमाबन्दी संवत् 2067 से –2070 की प्रमाणित प्रति अपील के साथ पेश है। जिसे अपील का एक आवश्यक भाग माना जावें। हमारी कब्जा काश्त एवं खातेदारी भूमि में हम अपीलान्ट का हक हिस्सा दर्ज रेकर्ड था तथा हमारी हक हिस्से की भूमि में हमारे पूर्वज भोमा व हणुत दोनो 1/2 – 1/2 हिस्से में दर्ज रेकर्ड थें। जिनकी वंशावली निम्नानुसार है।

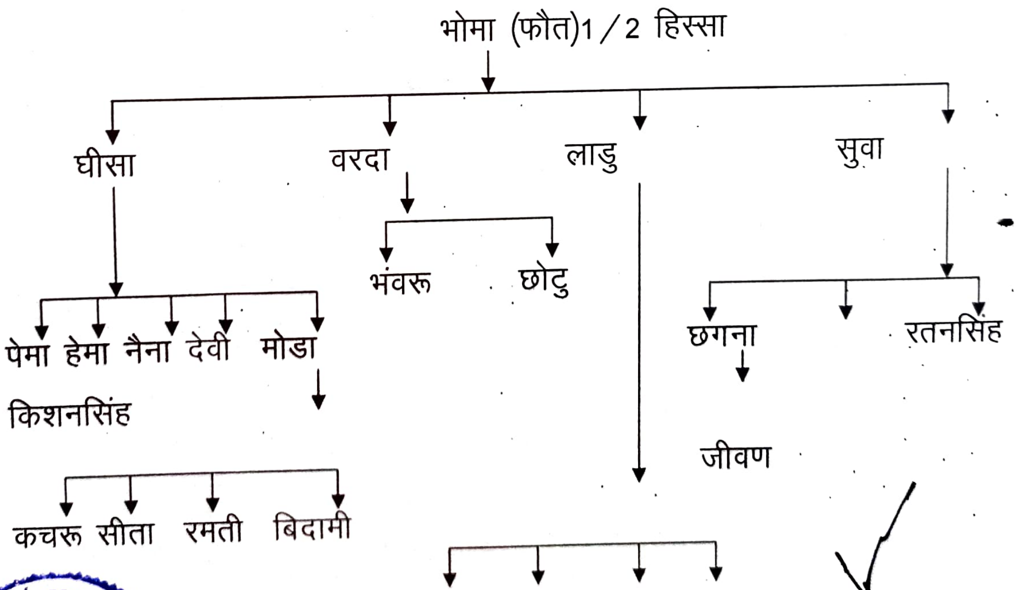

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

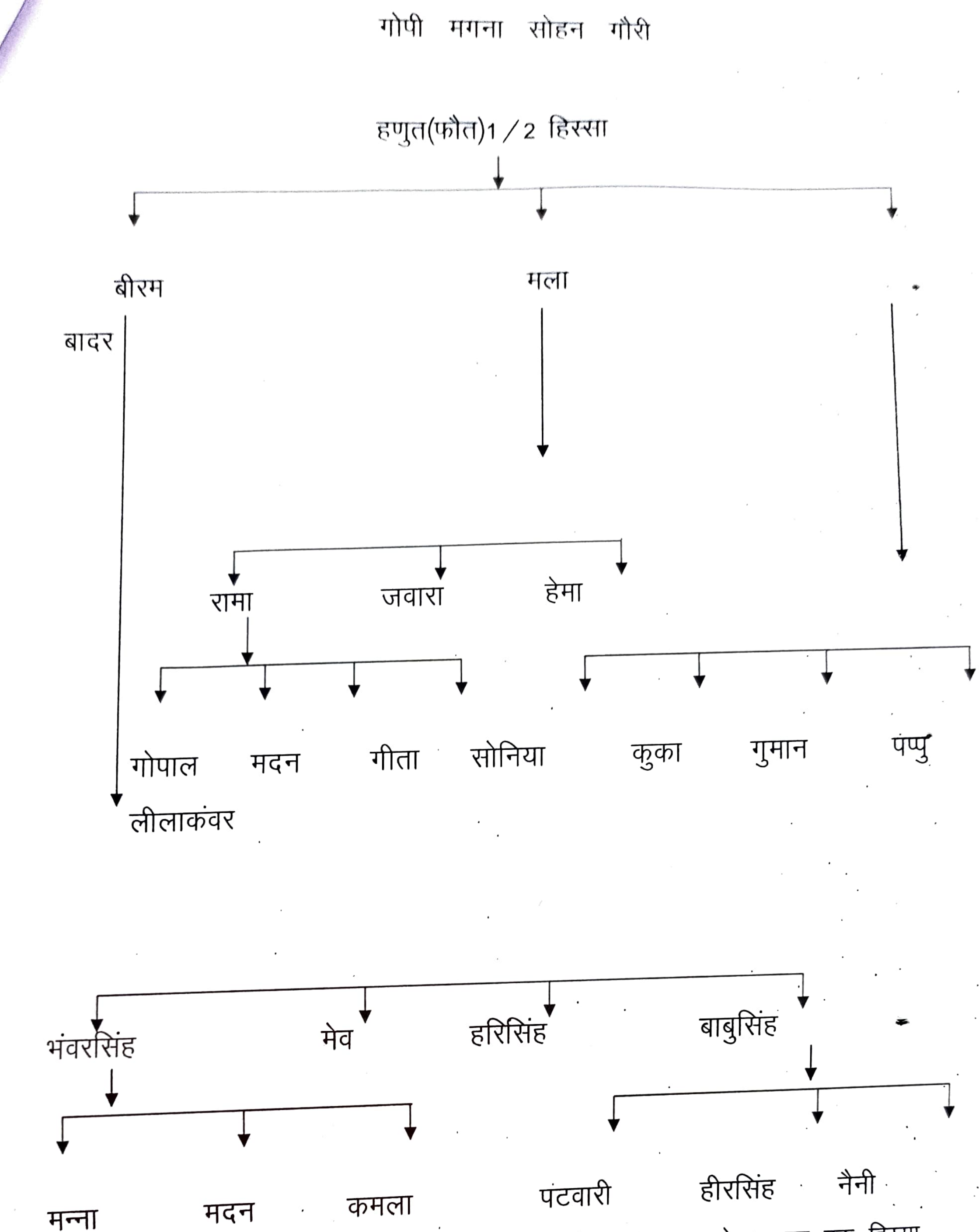

उपरोक्त दर्शीत वंशावली के अनुसार अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 15 का हक हिस्सा बनता है तथा इसी अनुसार हक हिस्से अनुसार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस का कब्जा काश्त होकर काश्त मुतालिक कार्य करते आ रहे है। दिनांक 24.02.2014 को अपीलान्ट संख्या 1 से लगायत 16 ने अपने हक हिस्से की भूमि में से कुछ हक हिस्से का बेचान जरिये पंजीकृत बेचाननामे से कर शेष हिस्से पर अपीलान्ट मौके पर काबिज रहे, लेकिन नामान्तणरकण संख्या 544 अपीलान्ट संख्या 1 से लगायत 16 का सम्पूर्ण हकहिस्सा हटा दिया तथा अपीलान्ट संख्या 17 18 19 के पिता भंवरसिंह पुत्र बीरम का बिना बेचान के ही नामान्तरण भर स्वीकृत कर दिया गया। जो विधिक विरूद्व व

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

अवैधानिक है। इसलिये उक्त नामान्तरणकरण काबिल खारिज के है। बैचाननामा दिनांक 24.02.2014 में अपीलाण्ट संख्या 1 से 16 ने ही अपना हक हिस्सा माफिक पंजीकत बैचानकर्ता का हिस्सा अपीलाण्ट संख्या 1 से 4 का 4/40 हिस्से की भूमि 1बिघा 17 बिस्वा में से 14 बिस्वा, अपीलाण्ट संख्या 5 का 1/16 हिस्से की भूमि 1 बिघा 03 बिस्वा में सें 8.75 बिस्वा, अपीलाण्ट संख्या 6,7,8 का 3/32 हिस्से की भूमि 1 बिघा 15 बिस्वा में सें 17.4375 बिस्वा, अपीलाण्ट संख्या 9,10,11 का 3/24 हिस्से की भूमि 2 बिघा 06 बिस्वा में सें 17.499 बिस्वा, अपीलाण्ट संख्या 12,13,14 का 3/24 हिस्से की भूमि 2 बिघा 06 बिस्वा में सें 17.499 बिस्वा, अपीलाण्ट संख्या 15,16 का 2/18 हिस्से की भूमि 2 बिघा 01 बिस्वा में सें 15.554 बिस्वा भूमि यानी कुल 90.7395 बिस्वा अर्थात 4.5369 बिघा भूमि का ही बैचान किया लेकिन नामान्तरण करण संख्या 544 दिनांक 20.03.2014 में अपीलाण्ट का नाम की कोइ भूमि तथा हक हिस्सा शेष नही रखा तथा अपीलाण्ट संख्या 17,18,19 के पिता भंवरसिंह पुत्र भिरम उर्फ बिरम ने अपना किसी प्रकार का कोइ हक हिस्सा न तो दिनांक 24.02.2014 को बैचान किया लेकिन नामान्तरणकरण संख्या 544 के उसका पुरा ही नाम हटा दिया गया। जिससे अपीलाण्ट के हितों पर भारी कुठाराघात हुआ है। उक्त नामान्तरण करण सं. 544 विधि विरूध तथा प्राकतिक न्याय के सिद्वातों के विरूध भरा जाकर स्वीकत किया गया है। इसलिये भी नामान्तरण करण सख्या 544 काबिल खारिज योग्य है। उपरोक्त आराजी के बाद बेचान व नामान्तरणकरण संख्या 544 के अपीलान्ट मौके पर आज दिन तक अपने व अपने शेष हक हिस्से पर कब्जा काश्त है तथा निंविवाद रूप से काश्त मुतालिक कार्य करते आ रहे है, जिसमें रेस्पोडेन्टस का कभी किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नही रही। दिनांक 24.02.2014 को संख्या 01 से लगायत 5 को 18 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से मात्र 4.5369 बीघा का ही बेचान किया गया था तथा खरीददार पंजीकृत बेचान के उक्त भूमि में 1 व 2 का 5/6 हिस्सा तथा खरीददार संख्या 3 से लगायत 5 का 1/6 हिस्सा बेचान किया गया तथा इसी अनुसार खरीददार व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से लगायत 5 मौके पर काबिज है तथा अपना कब्जा काश्त कर काश्त मुतालिक कार्य कर रहे है। अपीलान्ट सभी अनपढ व ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है तथा पशुपालन का कार्य करते है, जिंन्हे कभी राजस्व रेकर्ड प्राप्त करने की आवश्यकता नही हुई। जब अपीलान्ट संख्या 15 जवारा उर्फ जवाहरसिंह को बैंक से ऋण लेने हेतु आवश्यकता हुई तब उक्त खातेदारी भूमि की नकले पटवारी हल्का प्रतापगढ से प्राप्त तब उसकी जानकारी में आया कि पंजीकृत बेचान दिनांक 24.02.2014 में बेचान कर्ता तथा भंवरसिंह पुत्र बीरम जिसने बेचान दस्तावेज में किसी प्रकार की भूमि नही बेची तथा उसका नाम भी उक्त बेचाननामें में दर्ज नही हैं फिर भी नामान्तरण संख्या 544 द्वारा सभी के नाम पूर्ण रूप से हटा दिये गये। तब अपीलान्ट संख्या 15 ने अन्य सभी अपीलान्ट को जानकारी में दिया तथा संबन्धित सभी राजस्व रेकर्ड एवं पंजीकृत बेचानानामें की नकले प्राप्त कर अपने विधिक सलाहकार से सम्पर्क किया तथा उक्त नामान्तरण अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। इसलिये इस अपील को पेश करने में जो देरी हुई है उसे न्यायहित में उचित व आवश्यक मानते हुए जो समयावधि व्यतीत हुई है, उसे कन्डोन फरमाने हेतु अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधि. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश कर अनुमति चाही गई है। उपरोक्त वर्णित आराजी अपीलान्ट की पुश्तैनी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

वर्णित वंशावली अनुसार हक हिस्से में आई हुई है। दिनांक 24.02.2014 को अपीलान्ट संख्या 1 से लगायत 16 ने जरिये पंजीकृत बेचानानामा के अपने हक हिस्से में से कुछ हिस्से का बेचान किया तथा शेष हिस्सा अपने पास यथावत रखा तथा अपीलान्ट संख्या 17,18,19 के पिता भंवरसिंह पुत्र बीरम ने ना तो हिस्सा बेचान किया ना ही किसी प्रकार का कोई इकरार अलग से किया । उक्त बेचाननामा दिनांक 24.02.2014 का नामान्तरणकरण संख्या 544 भरा जाकर स्वीकृत किया गया जो अपीलान्ट के हिस्से के विरूद्व अवैध, प्रभावशून्य व अपीलान्ट के हितों के प्रति बेअसर है, काबिले निरस्त है व अधीनस्थ ग्राम पंचायत व पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरणकरण विधि विरूद्व व बिना दस्तावेज की जॉच व माफिक बेचाननामा दिनांक 24.02.2014 के अनुसार नही भरा गया जो कि विधि एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।वर्तमान खातेदार गौरी पत्नी लाडु उक्त बेचाननामा दिनांक 24.02.2014 में तथा नामान्तरणकरण संख्या 544 में भी गौरी पत्नी लाडु जीवित व शामिल थी। लेकिन वर्तमान में गौरी पत्नी लाडु फौत हो जाने से उसे उक्त अपील में पक्षकार –नही बनाया गया है, क्योकि उसके विधिक वारिसान बतौर अपीलान्ट 6,7,8 है। उन्ही को इनका विधिक वारिसान होने से उसके हक हिस्से में भी दर्ज किया जावे। उपरोक्त नामान्तरण करण संख्या 544 निरस्त योग्य होने से व अपीलान्ट के हितो के विरूद्व होने से वर्तमान में सभी खातेदारान के हक हिस्से में भी परिवर्तन व परिवर्धन होगा, इसलिये पूर्व स्थिति नामान्तरण करण संख्या 544 की बहाल की जाकर खाते में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस का सही हक हिस्सा दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है। जो कि वर्तमान में नामान्तरण करण संख्या 544 जो गलत व विधि विरूद्व रूप से भरा जाकर स्वीकार किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपील श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में होने से अन्दर मियाद पेश है। अपील पर नियमानुसार न्याय शुल्क पेश है।अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत अपील मंजूर की जाकर अपील में वर्णित आराजी सरहद मौजा ग्राम नाहरपुरा पटवार हल्का प्रतापगढ, भू. अभि.नि.क्षैत्र बाबरा, तहसील रायपुर जिला पाली राज. में खसरा नं. 2949,2950,2952,2953,2954 कुल रकबा 3.0110 हैक्टेयर की कृषि भूमि में नामान्तरणकरण संख्या 544 दिनांक 20.03.2014 को निरस्त कर माफिक बेचाननामा दिनांक 24.02.2014 एवं बेचानकर्ता के शेष हक हिस्से अनुसार नये सिरे से वर्णित वंशावली अनुसार नामान्तरण भरे जाने का आदेश फरमावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर्ड की गयी। रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 से 15 एवं 17 की नोटिस तलबी के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया हैं। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रदान की। वकील अपीलान्ट से अपील पर बहस सुनी एंव दिये गये तर्को का मनन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहनतापूर्वक अवलोकन करने के पश्चात् नामान्तकरण संख्या 544 दिनांक 20.03.2014 को निरस्त (रद्व) किया जाना न्यायोचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * रायपुर (पाली) *

आदेश

अतः अपीलार्थी की अपील, अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार कर ग्राम पंचायत बांसिया द्वारा निस्तारित नामान्तकरण संख्या 544 दिनांक 20.03.2014 को अपास्त किया जाकर ,तहसीलदार रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती हैं कि नामान्तरकरण के संबंध में बेचान दस्तावेज की विस्तृत जांच कर नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। तहसीलदार रायपुर को आदेश, तहरीर के साथ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 10.08.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * रायपुर (पाली) *